समाचार

नशा मुक्त भारत अभियान

महापौर, आयुक्त व सभापति पहुंचे राताखार, विद्यालय के समीप स्थित दुकानों का किया औचक निरीक्षण, तम्बाखू उत्पाद का विक्रय न करने की दी कड़ी हिदायत

(अभियान के अंतर्गत नगर निगम कोरबा के टी.पी.नगर व कोरबा जोनांतर्गत लगभग 30 शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों के 100 गज के अंदर स्थित दुकानों का किया गया सघन निरीक्षण, काफी संख्या में तम्बाखू उत्पादों की हुई जप्ती)

कोरबा 02 जुलाई 2025 –नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय व सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर राताखार बस्ती पहुंचे, उन्होने बस्ती में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की 100 गज के दायरे में स्थित विभिन्न दुकानों, ठेलों का सघन रूप से निरीक्षण किया तथा दुकान संचालकों को कड़ी हिदायत दी कि वे नशीले पदार्थ तम्बाखू युक्त उत्पाद, बीड़ी सिगरेट गुटका एवं अन्य किसी भी नशीली सामग्री का विक्रय कदापि न करें अन्यथा दुकान लाईसेंस गुमास्ता को निरस्त करने के साथ ही कड़ी वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

यहॉ उल्लेखनीय है कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप विगत दिनों कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में एन.सी.ओ.आर.डी. के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की सम्पन्न बैठक के

दौरान जिले में मादक दवाओं पदार्थो की अवैध तस्करी रोकने हेतु जिला स्तर पर सभी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में जिले के विभिन्न विभागों को कलेक्टर श्री वसंत के द्वारा विभागवार दायित्व सौपे गए थे। नगर पालिक निगम कोरबा को सौपे गए दायित्व में शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कालेज आदि के 100 गज के दायरे के अंदर यदि कोई दुकान में तम्बाखू युक्त उत्पाद का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने सहित अन्य आवश्यक दायित्व सौपे गए थे। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों के साथ–साथ नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने निगम की टीम के साथ राताखार बस्ती पहुंचे तथा वहॉ पर स्थित पूर्व माध्यमिक शाला के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों, ठेलों आदि का सघन निरीक्षण किया, दुकान संचालकों को कड़ी हिदायत दी कि वे दुकानों में नशीले पदार्थ, तम्बाखू युक्त पदार्थ, बीडी सिगरेट गुटका व अन्य नशीली सामग्रियों का विक्रय कदापि न करें, यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उनके दुकान का लाईसेंस, गुमास्ता आदि को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी, साथ ही नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही भी होगी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रवि सिंह चंदेल, उपायुक्त एवं निगम में अभियान के नोडल अधिकारी पवन वर्मा, जोन कमिश्नर अखिलेश शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी रावेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता सुनील टांडे, सोमनाथ डेहरे, दिलेश्वर सिंह, लालू शुक्ला, अजय विश्वकर्मा सहित निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

तम्बाखू उत्पादों की हुई जप्ती – महापौर श्रीमती राजपूत व आयुक्त श्री पाण्डेय के निरीक्षण के दौरान विद्यालय के 100 गज के अंदर स्थित दुकानों, ठेलों में बीडी सिगरेट व तम्बाखू उत्पाद रखे पाए गए जहॉ से इनका विक्रय भी किया जा रहा था, निगम के अमले ने उक्त नशीली सामग्रियों की जप्ती की तथा उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा, यदि उक्त नशीले पदार्थो का विक्रय दोबारा करते हुए पाया गया तो दुकान का लाईसेंस गुमास्ता आदि निरस्त करने के साथ ही नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही भी होगी, जिसके लिए व सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे, अतः दुकानों, ठेलों में नशीले पदार्थो का विक्रय कदापि न करें।

कोरबा व टी.पी.नगर जोन के 30 विद्यालयों के आसपास हुई कार्यवाही – निगम में उक्त अभियान के नोडल अधिकारी उपायुक्त श्री पवन वर्मा ने बताया कि शहर के कोरबा व टी.पी.नगर जोन के अंतर्गत लगभग 30 से अधिक विद्यालयों, कालेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों, ठेलों आदि का निरीक्षण निगम अमले के द्वारा किया गया तथा बीडी सिगरेट गुटका सहित अन्य तम्बाखू उत्पाद व नशीली सामग्रियॉ जप्त की गई। उन्होने बताया कि निगम अमले ने इन दुकान व ठेला संचालकों को कड़ी हिदायत दी कि उनकी दुकानों में दोबारा नशीली सामग्रियॉ बरामद न हों और न ही उनके द्वारा इन सामग्रियों का विक्रय किया जाए, यदि ऐसा किया जाता है तो वे कड़ी कार्यवाही का सामना करने हेतु तैयार रहें।